न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर०ए०एस०

अपील प्रकरण सं० 82/2016

1. भगवान कौर पत्नी जीत सिंह
2. सोहन सिंह पुत्र जीत सिंह
3. शान्ति पुत्री जीत सिंह
4. वीरपाल पुत्री जीत सिंह

} जाति बावंरी साकिन 9 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. शिवजी पुत्र जीत सिंह
2. चरण सिंह पुत्र जीत सिंह
3. बग्गा सिंह पुत्र जीत सिंह
4. जीतो पत्नी जीत सिंह
5. परमेश्वरी पुत्री जीत सिंह
6. रामप्यारी पुत्री जीत सिंह
7. गुलजारो पुत्री जीत सिंह

} जाति बावंरी निवासी 9 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1.श्री हरबंसलाल मिगलानी, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.अशोक तुली ,अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

आदेश **दिनांक :–15.01.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अदालत मातहत का इन्तकाल आदेश खिलाफ कानून, इंसाफ व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलांट को बिना सुने , सुनवाई का मौका दिये एकतरफा तौर पर न्याय के प्राकृतिक सिद्वांतो की अवहेलना करते हुए इंतकाल करने में कानूनी गलती की है। अपीलांट के पिता व पति जीतसिंह पुत्र पूर्ण सिंह के नाम से वाके चक 9 टी.के. तहसील रायसिंहनगर के खाता सख्या 35 के मु.न. 19,49 में 1.431 हैक्टर व खाता सख्या 36 के मु.न. 31 में कुल 1.771 हैक्टर में 1/2 हिस्सा नहरी व बारानी कृषि भूमि थी। अपीलांट के भाई व पुत्र शिवजी ने फर्जी तरीके से अपीलांट के पिता व पति की कृषि भूमि वाके चक 9 टीके तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 19 में किला नम्बर 1 व 7 में 10.10 बिस्वा व किला नम्बर 8 में एक बीघा कुल 2 बीघा व मु.न. 31 की 1.771 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि की फर्जी वसीयत नोटेरी पब्लिक तस्दीक करवाकर अपने नाम से करवाई थी। उक्त तथाकथित वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करवाया गया है जो कि राजस्व अधिकारीयों से कूट रचना कर तथाकथित रूप से इंतकाल रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के नाम से गलत रूप से किया गया है जो कि अपीलांट को बिना सुने

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

तथा एक तरफा तौर से प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत जाकर इंतकाल पारित किया गया है उक्त इंतकाल बिल्कुल ही गलत व एक तरफा तौर से पारित किया गया है जो कि काबिले खारिज है। इंतकाल करने से पूर्व सभी वारिसान को नोटिस दिया जाना चाहिए था और उनका पक्ष सुनना चाहिए था जो कि उक्त इंतकाल किए जाने में ऐसा नहीं किया गया है। अपीलांट को नहीं सुना गया , कानूनन इंतकाल करने की प्रकिया किसी प्रकार से पूरी नहीं की गयी और एक तरफा तौर से फर्जी तरीके से वसीयत के आधार पर इंतकाल कर दिया गया। अपीलांट के पिता व पति का दिनांक 02.07.2012 को स्वर्गवास हो चुका है उनका स्वर्गवास होने के उपरांत चक 9 टी.के. तहसील रायसिंहनगर में श्री जीतसिंह के नाम के रकबा का विरास्तन दर्ज इंतकाल करवाने के लिए अपीलांट सोहनसिंह ने दिनांक 15.12.2015 को तहसील रायसिंहनगर गया तो प्रार्थी को पटवारी हल्का से पता चला कि अपीलांट के पिता की कृषि भूमि वाके चक 9 टी.के. के तहसील रायसिंहनगर का इंतकाल शिवजी पुत्र जीतसिंह ने वसीयत के आधार पर करा लिया है। जिस पर अपीलांट सोहन सिंह ने तहसील कार्यालय में पता किया तो उक्त इंतकाल की जानकारी प्रार्थी को हुई है जिस पर नकल इत्यादि तैयार करवाकर आज अपील बिना किसी देरी से पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत का इंतकाल संख्या 319 दिनांक 06.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का इन्तकाल आदेश खिलाफ कानून, इंसाफ व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलांट को बिना सुने , सुनवाई का मौका दिये एक तरफा तौर पर न्याय के प्राकृतिक सिद्वांतो की अवहेलना करते हुए इंतकाल करने में कानूनी गलती की है। अपीलांट के पिता व पति जीतसिंह पुत्र पूर्ण सिंह के नाम से वाके चक 9 टी.के. तहसील रायसिंहनगर के खाता सख्या 35 के मु.न. 19,49 में 1.431 हैक्टर व खाता सख्या 36 के मु.न. 31 में कुल 1.771 हैक्टर में 1/2 हिस्सा नहरी व बारानी कृषि भूमि थी। अपीलांट के भाई व पुत्र शिवजी ने फर्जी तरीके से अपीलांट के पिता व पति की कृषि भूमि वाके चक 9 टीके तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 19 में किला नम्बर 1 व 7 में 10.10 बिस्वा व किला नम्बर 8 में एक बीघा कुल 2 बीघा व मु.न. 31 की 1.771 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि की फर्जी वसीयत नोटेरी पब्लिक तस्दीक करवाकर अपने नाम से करवाई थी। उक्त तथाकथित वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करवाया गया है जो कि राजस्व अधिकारीयों से कूट रचना कर तथाकथित रूप से इंतकाल रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के नाम से गलत रूप से किया गया है जो कि अपीलांट को बिना सुने तथा एक तरफा तौर से प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत जाकर इंतकाल पारित किया गया है उक्त इंतकाल बिल्कुल ही गलत व एक तरफा तौर से पारित किया गया है जो कि काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 06.10.2015 जिसकी रूह से कथित वसीयत के आधार इन्तकाल संख्या 319 दर्ज किया गया है को खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा दिनांक 06.10.2015 से वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा चक 9 टी.के. तहसील रायसिंहनगर की कृषि भूमि का इंतकाल सख्या 319 सही दर्ज किया गया है क्योंकि रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उसके पक्ष में चक 9 टी.के. तहसील रायसिंहनगर के खाता सख्या 35 के मु.न. 19,49 में 1.431 हैक्टर व खाता सख्या 36 के मु.न. 31 में कुल 1.771 हैक्टर में 1/2 हिस्सा नहरी व बारानी कृषि भूमि की गई थी जिसके आधार पर उक्त इंतकाल दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों पर गौर किया। अपीलांटगण का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2015 तहसीलदार रायसिंहनगर के संबंध में मुख्य अभिवचन है कि उनके भाई व पुत्र शिवजी ने फर्जी तरीके से अपीलांट के पिता व पति की कृषि भूमि वाके चक 9 टी.के. तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 19 में किला नम्बर 1 व 7 में 10-10 बिस्वा व किला नम्बर 8 में एक बीघा कुल 2 बीघा व मु.न. 31 की 1.771 में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि की फर्जी वसीयत नोटेरी पब्लिक तस्दीक करवाकर अपने नाम करवा दी। अपीलाधीन इंतकाल इस तथाकथित वसीयत के आधार पर दर्ज हुआ जो कि राजस्व अधिकारियों से कूटरचना कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम गलत रूप से किया गया जो कि अपीलांट को बिना सुने तथा एकतरफा तौर पर प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत जाकर इंतकाल पारित किया गया है। इस आदेश के सम्बन्ध में पत्रावली पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि अपीलांटस ने इस गैर कानूनी वसीयत को कहीं भी सक्षम स्तर पर चुनौती दी हो। वसीयत की अवैद्यता सिद्वि के फलस्वरूप ही उसके आधार पर भरे गए नामांतरकरण को भी खारिज किया जा सकता है। पत्रावली पर अपीलाधीन आदेश के प्रकरण में स्थानीय समाचार-पत्र सीमा संदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.08.2015 के अंक में इश्तहार प्रकाशित करवाकर आपति मांगी थी। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक 347 दिनांक 18.09.2015 जो पटवारी हल्का 11 टी.के. को संबोधित है, में स्पष्ट किया गया है कि " **उक्त वसीयत प्रकरण में युक्तियुक्त सुनवाई कर दिनांक 18.09.2015 को निर्णय किया जा चुका है जिसमें नियमानुसार अमलदरामद के आदेश दिए गए है। इस वसीयत के निष्पादन के सम्बन्ध में अभिलेख पर एक हलफनामा भी सोहनलाल का है जिसमें लिखा है कि मैने एक वसीयत दिनांक 6.08.2003 को श्री जीतसिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह जाति बांवरी निवासी 9 टी.के. की विवादित आराजी बाबत वसीयत अपने पुत्र शिवजी के हक में लिखकर दी थी जो दोनो गवाहों के समक्ष लिखकर अपने अंगूठा लगवा दिया था**" इस विवेचन के आधार पर उक्त नामांतरकरण में कोई अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं होती।

अपील के उभय पक्षो की ओर से बहस में जाहिर किये गए तथ्यों से यह अपील मृतक खातेदार जीतसिंह की कुल धारित खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में आंशिक रूप में ही वर्णित की गई है। वास्तव में तथ्य यह है कि उभयपक्ष के पिता/पति मृतक जीतसिंह की 9 टी.के. तथा 26 एन.पी. दो चको में भूमि स्थित है। मृतक जीत सिंह के दो पत्नियां भगवानकौर तथा जीतो है जिनसे कुल 9 संतान है, जिनमें 4 पुत्र सोहनसिंह- शिवजी, चरणसिंह तथा बग्गासिंह है, शेष 5 पुत्रियां है जिनकी पुष्टि अभिलेख पर उपलब्ध वारिसनामा प्रमाण-पत्र , ग्राम पचांयत 11 टी.के. दिनांक 8.12. 2015 से होती है। यह तथ्य निर्विवादित भी है क्योंकि इस पर उभयपक्ष की संस्वीकृति है जैसाकि सोहन सिंह (अपीलांट नम्बर 2) व शिवजी (रेस्पोडेन्ट संख्या 1) ने अदालत में उपस्थित होकर स्वीकार किया है।

मृतक जीतसिंह ने अपीलाधीन आदेश के अधीन वाली वसीयत के अलावा एक अन्य बन्द वसीयत भी करवाई थी, जिसका जिक इस अपील में नहीं किया गया है। यह बंद वसीयत दिनांक 06.07.2012 को खोली जाकर निष्पादित की गई है। इस वसीयत में मृतक जीतसिंह ने चक 26 एन.पी. के मु.न. 22 के 3.163 हैक्टर नहरी भूमि

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

(12.10 बीघा) स्व. अर्जित कथित करते हुए अपने मात्र दोनो उतराधिकारी लडको हरचरण सिंह (रेस्पोडेन्ट सख्या 2) तथा बग्गा सिंह (रेस्पोडेन्ट सख्या 3) को ही उतराधिकारी बताते हुए बग्गा सिंह को 6.10 बीघा तथा हरचरण सिंह को 6.00 बीघा भूमि देने का उल्लेख किया। इस वसीयत के आधार पर चक 26 एन.पी. की मु.न. 22 की उपरोक्त भूमि 1.645 हैक्टर तथा 1.518 हैक्टर पर क्रमशः उनके दोनो पुत्रो बग्गासिंह तथा हरचरण सिंह को जरिये नामांतरकरण सख्या 183 हस्तांतरित की जा चुकी है जो वर्तमान में उनके पृथक–पृथक नाम से खातेदारी दर्ज होकर रहनशुदा है। इस भूमि में मृतक के अन्य वारिसों का नाम शामिल नहीं हुआ है। यह भूमि मृतक जीतसिंह को पुख्ता आवंटन हुई थी जो ना.सं0 24 से बाद स्वीकृति अमलदराम हुआ। इस रूप से यह भूमि जीत सिंह की स्व.–अर्जित सम्पति थी न कि पुश्तैनी। इसलिए वह इस भूमि की वसीयत करने का सम्पूर्ण अधिकारी था।

अपीलाधीन विवादित भूमि वाके 9 टी.के. मु.न. 19 व 31 की है। मु.न. 19 की . 0.9250 हैक्टर भूमि मृतक जीतसिंह को न्यायलय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय/डिक्री के जरिये मिली । विवादित भूमि भी मृतक जीतसिंह को जरिये विरासत न मिलकर न्यायालय निर्णय से मिली है लिहाजा यह भी उसकी स्व.–अर्जित सम्पति है और इसके व्ययन का भी पूर्ण अधिकार जीतसिंह को होने सें उसकी वसीयत करना गैर कानूनी नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रकार इसी चक की मु.न. 31 की विवादित भूमि 1.771 है. जमाबंदी वर्ष संवत 2019–2022 की खतौनी सख्या 3 मुताबिक अतरा वल्द हरनामा से जरिये बैयनामा मार्फत है.ना. सं0 42 केता जीतसिंह, जोगेन्द्रसिंह पि0 पूर्ण सिंह ब हिस्सा बराबर (140हिस्सा) जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 की प्रविष्टि से खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार यह भूमि भी पुश्तैनी नहीं होकर मृतक जीतसिंह की खरीदशुदा स्व.–अर्जित संपति है। इसके व्ययन का भी पूर्ण अधिकार जीतसिंह को था जिसकी वसीयत करने का वह कानूनी रूप से हकदार था।

उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेख के आलोक में न्यायलाय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मृतक जीतसिंह वल्द पूर्ण सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में स्व.–अर्जित कृषि भूमियों को अपने पुत्रों को पृथक–पृथक 2 चकों में उनके पक्ष में वसीयत करके दी गई है जो कानूनन देने का वह अधिकारी था। उसके द्वारा की गई अपीलाधीन वसीयत भी इसी आलोक में कानून सम्मत ठहरती है। इस वसीयत के आधार पर भरा गया अपीलाधीन नामांतरकरण सख्या 317 ग्राम 9 टी.के. स्वीकृति आदेश दिनांक 6.10. 2015 विधि की दृष्टि में सही है और इसलिए नामांतरकरण भी सही भरा गया है। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता इंगित नहीं होती हैं। लिहाजा इसको यथावत रखा जाता है। अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/1/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ★ श्रीगंगानगर (राज.)

कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

क्रमांक :– सीजी/का0 रिकार्ड/17/265 दिनांक :27-2-18

प्रेषित :–

रीडर ADM(A)

कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर।

विषय :– प्रतिलिपि देने हेतु पत्रावली/रिकार्ड भिजवाने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने हेतु निम्नांकित रिकॉर्ड/पत्रावली की आवश्यकता है। अतः चाहा जा रहा रिकॉर्ड/पत्रावली भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि प्रतिलिपि समय पर जारी की जा सके। इसे अति आवश्यक समझा जावे।

क्र.सं.	नाम सोंगा	प्रकरण संख्या	अनवान	तारीख पेशी	निर्णय दिनांक
	अपील	3/016	भगवान कौर v/s शिवजी वगैरा		15-1-18

शाखा प्रभारी
कार्यालय रिकॉर्ड शाखा
कार्यालय हाजा